न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 175/2015

1 विजयदान उर्फ बृजलाल पुत्र जेठमल।

2 गंगाधर पुत्र जेठमल समस्त जाति चारण निवासीगण दीवानजी का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल आबाद 83, वृन्दावन कॉलोनी खातीपुरा रोड़ झोटवाड़ा जयपुर जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1 गौमती देवी उर्फ गौमा कंवर पत्नी जेठमल।

2 ताज देवी पुत्री जेठमल।

3 छोटू देवी पुत्री जेठमल समस्त जाति चारण निवासीगण दीवानजी का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

4 पटवारी पटवार हल्का धाननी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

5 उप पंजियक पंजीयन कार्यालय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

6 तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

7 भगवानदास पुत्र मदनदान।

8 शैतानदान पुत्र दुर्गादान।

9 अम्बादान उर्फ तोफानदान पुत्र दुर्गादान।

10 रिछपालदान पुत्र दुर्गादान।

11 मालदान पुत्र गोपालदान।

12 भागीरथदान पुत्र पन्नादान।

13 डूंगरदान पुत्र शिम्भूदान।

14 बाबूदान पुत्र शिम्भूदान।

15 बीरबलदान पुत्र शिम्भूदान।

16 किशोर कंवर पुत्री शिम्भूदान।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

17 गुलाब कंवर पत्नी शिम्भूदान।
18 महेन्द्र सिंह पुत्र गणेशदान।
19 सरस्वती पुत्री गणेशदान।
20 जीतूदान पुत्र किशनदान।
21 भंवरदान पुत्र किशनदान।
22 सुरेन्द्रदान पुत्र सवाईदान।
23 शिवराजदान पुत्र सवाईदान।
24 किशनदान पुत्र सवाईदान।
25 रघुनाथदान पुत्र देवीदान।
26 सोहन पुत्र देवीदान।
27 भादर पुत्र देवीदान।
28 सरूप सिंह पुत्र देवीदान।
29 कैलाशदान पुत्र समदरदान।
30 लिछमणदान पुत्र समदरदान।
31 जगदीशदान पुत्र मघदान।
32 बद्रीदान पुत्र मघदान।
33 गीता कंवर पत्नी मघदान।
34 भगवानदान पुत्र मदनदान।
35 तुलसी कंवर पुत्री मदनदान।
36 नीमा कंवर पुत्री मदनदान।
37 मन्जू कंवर पुत्री मदनदान समस्त जाति चारण निवासीगण दीवानजी का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
38 सांवरमल पुत्र जेठाराम।
39 सुल्तान पुत्र जेठाराम।
40 राधा देवी पत्नी रतनलाल।
41 शिवराम पुत्र रतनलाल।
42 जितेन्द्र पुत्र रतनलाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

43 कानाराम पुत्र रिड़मल समस्त जाति जाट निवासीगण दीवानजी का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

44 मोहम्मद शाकिर पुत्र निजामुदीन भारती जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला हुसैनगंज सीकर तहसील व जिला सीकर।

45 राजकुमारी शर्मा पत्नी अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री श्रीमान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर मुकदमा नम्बर 87/2015 बउनवानी गौमती देवी वगैरह बनाम विजयदान वगैरह तारीख फैसला 03.07.2015

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सुभाष कुल्हरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री हरफूल सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 18.10.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 87/2015 में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 244 रकबा 13.57 हैक्टेयर वाके ग्राम धाननी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में से रकबा 3.54 हैक्टेयर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता जेठमल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के है, आराजी पैतृक वंशानुगत है। जेठमल की मृत्यु पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 157 के द्वारा गलत रूप से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी। जबकि वादियागण जेठमल की विधिक वारिसान होने से 1/5,1/5 के हिस्सेदार थी। वादियागण को विधिक हक हिस्से से वंचित रखा गया है। प्रतिवादीगण दखलन्दाजी कर रहे हे। वाद पेश कर अनुतोष चाहा है कि वाद डिक्री किया जाकर वर्णित भूमि खसरा नम्बर 244 रकबा 13.57 हैक्टेयर ग्राम धाननी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में रकबा 3.54 हैक्टेयर में वादियागण को 1/5,1/5 हिस्से खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड में दर्ज किया जावें व प्रतिवादीगण का अधिक हिस्सा निरस्त किया जावें। प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में दखलन्दाजी करने से बाज रहने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दावा पेश होने पर रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के दावे को स्वीकार करते हुए दिनांक 03.07.2015 को दावा डिक्री कर दिया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विधि विरूद्व रूप से पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में दिनांक 25.06.2015 को दावा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 24.07.2015 नियत की गई दिनांक 24.07.2015 से पूर्व ही विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2015 को पत्रावली कैम्प कोर्ट धाननी में रखकर वाद वादी डिक्री कर दिया गया है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पुत्रियों का पिता की सम्पति में समान हक होता है। विचाराधीन आदेश से विचारण न्यायालय द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पुत्रियों को पिता के सम्पति में बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विधि विरूद्व रूप से पारित किया गया है। विचारण न्यायालय मे दिनांक 25.06.2015 को दावा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 24.07.2015 नियत की गई दिनांक 24.07. 2015 से पूर्व ही विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2015 को पत्रावली कैम्प कोर्ट धाननी में रखकर वाद वादी डिक्री कर दिया गया है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधि विरूद्व है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.11.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर